

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मैनपुरी।

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैनपुरी जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है एवं सड़क सुरक्षा समिति मैनपुरी की बैठक दिनांक-04.09.2019 में गठित समिति में श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय, जिलाधिकारी, श्री अजय शंकर राय, पुलिस अधीक्षक, श्री ओमप्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री राजेश कर्दम, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सम्मिलित रहे उक्त समिति द्वारा उ0प्र0 मोटरवाहन नियमावली के नियम 178 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर पूर्व में ही माननीय जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या-579/सा0प्र0/का0आ0/2019 दिनांक-03.10.2019 द्वारा गति प्रतिबंधित की गयी है-

पूर्व में गति निबन्धित मार्ग की सूची।

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबन्धित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टूव्हीलर/थ्रीव्हीलर	बालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	घरलक सहित 8 सीटों तक वाले यान	समस्त माल यान एवं स्टांग 4.5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	मैनपुरी से कुरावली मार्ग एसएच-84ए	कलेक्ट्रेट मैनपुरी से कुरावली तहसील तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी

2	भोगांव से शिकोहाबाद मार्ग एसएच-84	कलेक्ट्रेट से करहल चौराहे व रेलवे क्रासिंग तक	40 किमी	40 किमी	40 किमी	30 किमी
3	करहल से मैनपुरी मार्ग एसएच-83	रेलवे क्रासिंग से मैनपुरी सीमा तक	50 किमी	50 किमी	50 किमी	70 किमी
4	मैनपुरी से भोगांव मार्ग एसएच-84	कलेक्ट्रेट से मैनपुरी सीमा तक	40 किमी	50 किमी	50 किमी	65 किमी
5	भोगांव से कुरावली मार्ग एनएच-91	कुरावली बाजार क्षेत्र में	20 किमी	25 किमी	25 किमी	25 किमी
6	शिकोहाबाद से भोगांव मार्ग एसएच-84	नई मण्डी से सिन्धिया तिराहे तक	45 किमी	45 किमी	45 किमी	40 किमी

प्रस्तावित गति निबन्धित मार्ग की सूची।

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबन्धित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टूकीलर/थ्रीकीलर	बालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	बालक सहित 8 सीटों तक वाले यान	समस्त माल यान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	लिपुलेख मिण्ड मार्ग एसएच-29	बेवर मण्डी वाई पास से फरुखाबाद रोड पर वरमदेव मन्दिर तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
2	शिकोहाबाद- भोगांव मार्ग एसएच-84	घिरोर में बस स्टेण्ड से भदौरिया पेट्रोल पम्प तक, मैनपुरी में सिन्धिया तिराहे से जेल चौराहे तक, भोगांव में पावर ग्रिड से बस स्टेण्ड तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
3	इटावा-मैनपुरी मार्ग एसएच-83	करहल में जैल इण्टर कॉलेज से आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे तक, मैनपुरी में रेलवे क्रासिंग से करहल चौराहे तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
4	मैनपुरी-कुरावली मार्ग एसएच-84ए	मैनपुरी में ईशान नदी पुल से नुमाईस ग्राउण्ड तक, कुरावली में गैलानाथ पुल से मलिखान सिंह इण्टर कॉलेज तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
5	सिरसागंज- किशनी मार्ग एसएच	करहल, किशनी नगर पंचायत की सीमा तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
6	विधूना-किशनी मार्ग एमडीआर-134	किशनी बस स्टेण्ड से इटावा रोड पर चौराहे तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी

7	जिला जेल फार्म मार्ग ओ.डी.आर.	जिला जेल के मुख्य द्वार से होते हुये दीवानी भोजपुरा तिराहे तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
8	मैनपुरी बीलों औरन्ध, सहारा, मनऊ घाट मार्ग 01 कि०मी० से ट्रान्जिस्ट होस्टल होते हुये नगला पजाबा मार्ग, मैनपुरी ओ.डी.आर.	गोलाबाजार तिराहे से नगला पजाबा तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
9	शिकोहाबाद, भोगांव मार्ग (जेल चौराहा) से जिलाधिकारी आवास ओ.डी.आर.	जेल चौराहे से जिलाधिकारी आवास तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
10	मैनपुरी बीलों औरन्ध सहारा मनऊ घाट मार्ग से जिलाधिकारी आवास होते हुये शिकोहाबाद भोगांव मार्ग तक ओ.डी.आर.	अग्निशमन केन्द्र से जिलाधिकारी आवास होते हुये भोगांव शिकोहाबाद मार्ग तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
11	इटावा मैनपुरी (करहल आबादी भाग) मार्ग, ओ.डी.आर.	जैन इण्डर कॉलेज से बाजार होते हुये मैनपुरी रोड पर आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
12	आलीपुर खेड़ा काली नदी ओ.डी.आर.	आलीपुर खेड़ा का सम्पूर्ण वाई पास	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
13	भोगांव रेलवे पोषक ओ.डी.आर.	बस स्टेशन से भोगांव रेलवे स्टेशन तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
14	मैनपुरी बीलों औरन्ध सहारा मनऊ घाट मार्ग ओ.डी.आर.	फरदपुर चौराहे के 2 कि०मी० की परिधि में	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
15	बेवर सँकिसा मार्ग ओ.डी.आर.	बेवर अस्पताल से मोटा रोड पर नगर पंचायत की सीमा तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
16	मैनपुरी भावत किशनी मार्ग ओ.डी.आर.	भावत चौराहे से खरपरी बम्बा तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
17	मैनपुरी कुसमरा रामनगर सौरिख मार्ग ओ.डी.आर.	ईशान नदी पुल से विकास भवन, दीवानी, भोजपुरा, कचहरी रेलवे कासिंग तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
18	नवीगंज जासमई कैथोली मार्ग ओ.डी.आर.	नवीगंज से जासमई मार्ग पर 2 कि०मी० आगे तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
19	करीमगंज विछवां हन्तूखेड़ा मार्ग ओ.डी.आर.	करीमगंज से विछवां भट्टा तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
20	किशनी शमसेरगंज लैगांव सौरिख मार्ग ओ.डी.आर.	किशनी से बुध बिहार तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
21	भोगांव से सँकिसा मार्ग ओ.डी.आर.	भोगांव से थाना के पीछे से रेलवे कासिंग तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी

92

22	किशानी से रामनगर होते हुये विशुनगढ़ मार्ग ओ.डी.आर.	किशानी नगर पंचायत की सीमा तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
23	विछिया जौराई सहन मार्ग ओ.डी.आर.	भदावर हाऊस रेलवे कासिंग तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
24	मैनपुरी भोंवत किशानी मार्ग से पावर हाउस मार्ग ओ.डी.आर.	रेलवे फाटक से पावर हाऊस तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
25	मैनपुरी सिरसागंज मार्ग, ओ.डी.आर.	नगला दौलत से आगे 2 कि०मी० तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
26	मैनपुरी ज्योति औछा सकीट मार्ग ओ.डी.आर.	ज्योति तिराहे से भगवती देवी इण्टर कॉलेज तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
27	घिरोर कुरावली मार्ग ओ.डी.आर.	घिरोर से नहर के पुल तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
28	शीतला माता मन्दिर से घण्टाघर चौराहा मार्ग ओ.डी.आर.	नुमाईश तिराहे से मदार दरबाजा होते हुये घण्टाघर तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
29	शिकोहाबाद भोगाव मार्ग (सिन्धिया तिराहे से ईसन नदी पुल तक) आबादी भाग ओ.डी.आर.	सिन्धिया तिराहे से बाई पास होकर करहल चौराहा, भोंवत चौराहा, ईसन नदी पुल, जेल चौराहा होते हुये आकाशा ग्लोबल स्कूल तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
30	घिरोर जसराना मुस्ताफाबाद फरिहा मार्ग ओ.डी.आर.	घिरोर में जसराना मार्ग पर घिरोर नगर पंचायत की सीमा तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी
31	करहल घिरोर मार्ग ओ.डी.आर.	घिरोर तिराहे से नवीन मण्डी समिति तक	40 किमी	60 किमी	60 किमी	50 किमी

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा-

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 116 में विनिर्दिष्ट साइनबोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इस की जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा-

अ)अग्निशमन वाहन

ब) एम्बुलेंस ।

स)पुलिसवाहन ।

द)कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्धसैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन ।

य)प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन ।

उपरोक्त तालिका के कॉलम- 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा- 112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी

की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

राजेश कर्दम,

वरिष्ठ सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद मैनपुरी।

पू0सं0-105/स0सू0/2020 समदिनांकित- दिनांक 20-6-2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
- 3-जिलाधिकारी, मैनपुरी।।
- 4-पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
- 5-मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
- 6-अपर जिलाधिकारी, मैनपुरी।
- 7-उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
- 8-निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 9-अधीक्षक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी।
- 10-अधिसूचक अभियन्ता, प्रान्तीय निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को इस आशय के साथ कि मार्गों पर गति निबन्धित क्षेत्रों पर साइनबोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें।
- 11-जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचना निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 12-जिला सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान आदि को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

राजेश कर्दम,

वरिष्ठ सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद मैनपुरी।